पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 16, वर्ष 24

ज्ञान तत्व

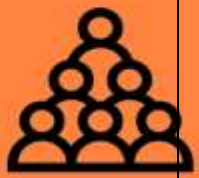

समाज शास्त्र | अर्थ शास्त्र | धर्म शास्त्र | राजनीति शास्त्र

454

-: सम्पादक :-

बजरंग लाल अग्रवाल

रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 31.08.2024

प्रकाशन की तारीख 16.08.2024

पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचास पैसे)

सामाजिक विषयों पर चर्चा

1. वर्ग निर्माण आर्थिक आधार पर:- आज हमारे सामाजिक विषयों पर चर्चा का 13वां दिन है। हम वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के अलग-अलग तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ 100 वर्षों में सारी दुनिया में जितनी हत्याएं साम्यवादियों ने अपने राजनैतिक विस्तारवाद के नाम पर की है, उतनी हत्याएं दुनिया में अपराधियों ने नहीं की है। साम्यवादियों ने समाज में आपस में टकराव पैदा करने के लिए हमेशा गरीबों और अमीरों के नाम से दो झूठे वर्ग बनाए जबकि गरीब-अमीर नामक कोई वर्ग होता ही नहीं है। सारी दुनिया में साढ़े 700 करोड लोग हैं। कोई भी दो व्यक्ति योग्यता और क्षमता में पूरी तरह समान नहीं होता। किसी की योग्यता शून्य तक होती है, किसी की असीम तक होती है और इस प्रकार योग्यता के आधार पर दुनिया के सभी व्यक्ति अलग-अलग होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से सत्य है कि योग्यता और क्षमता के अनुसार ही सुविधाएं कम या ज्यादा मिलती है। सरकार की सिर्फ एक ही भूमिका होती है कि सभी लोग अपनी-अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करें यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पैदा करें उस स्थिति में सरकार रेफरी के रूप में उस बाधा पैदा करने वाले से समाज की सुरक्षा की व्यवस्था करती है सरकार का सिर्फ इतना ही काम होता है। लेकिन साम्यवाद समानता के नाम पर वर्ग विद्वेष बढ़ाता है गरीब और अमीर को अपनी योग्यता अनुसार उपलब्धि की तुलना में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेषभाव से टकराव पैदा करता है। यही साम्यवाद का एकमात्र काम है और इसी काम के आधार पर साम्यवाद जिंदा है। ना सभी गरीब अच्छे होते हैं, ना सभी अमीर बुरे होते हैं, सब की अच्छाई और बुराई की प्रवृत्ति अलग-अलग हो सकती है लेकिन दुनिया में साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सभी संपन्न लोगों को बुरा और सभी गरीब लोगों को अच्छा कह कर दोनों के बीच में इस प्रकार टकराव पैदा करता है कि उसकी अपनी रोजी-रोटी भी चलती रहे और साथ में उसकी राजनीतिक सत्ता भी मजबूत होती रहे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि भारतीय संविधान से समानता शब्द को निकाल कर स्वतंत्रता शब्द शामिल कर देना चाहिए। साथ ही दुनिया से साम्यवाद को खत्म करने के लिए एकजुटता का संदेश आगे बढ़ाते रहना चाहिए।

2. वर्ग निर्माण आय के साधनों के आधार पर:- आज 14वें दिन हम चर्चा कर रहे हैं किसान और मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष की। मैंने पूरे देश में कई बार घूम-घूम कर भी देखा और स्वयं भी

अनुभव किया कि कितने परिवार हैं जो या तो किसान है या मजदूर है या व्यापारी है या सरकारी नौकर हैं। मुझे ऐसे परिवार बहुत कम मिले जो किसी एक प्रकार के हों। सच्चाई है कि अनेकों परिवारों में कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है तो कोई सेवा में चला जाता है। कई ऐसे लोग भी मिले जो 6 महीने खेती करते हैं और 6 महीने व्यापार करते हैं, कभी नौकरी भी करते हैं। कोई भी एक परिवार एक ही तरह का रोजगार नहीं करता। मेरी समझ में वर्ग संघर्ष करने का एक कम्युनिस्ट पैटर्न है जिसमें किसान और मजदूर दोनों को अलग-अलग करके दिखाया जाता है, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी को वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि एक परिवार में एक व्यक्ति रिटायर होने के बाद कहीं नौकरी करने लगता है, दूसरा सरकारी सेवा में रहता है, तीसरा खेती भी करता है इसलिए रोजगार के आधार पर वर्ग संघर्ष करना यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वर्तमान समय में किसानों के नाम पर जो सड़कें जाम कर रहे हैं, वे वास्तव में अपराधी तत्व हैं, उन्हें हम समाज विरोधी तत्व भी कह सकते हैं क्योंकि किसान अपनी खेती में लगा हुआ है उसे तो आंदोलन की फुर्सत नहीं है, मजदूर भी मजदूरी करने में लगा हुआ है, उसे आंदोलन की फुर्सत नहीं है। यह आंदोलनजीवी सारे देश में अलग-अलग वर्ग बनाकर समाज में वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष फैला रहे हैं। वही आदमी सैनिक के रूप में अपने बेटे के आंदोलन में मदद कर रहा है, वही बेटा एक सैनिक की मदद करने के लिए आंदोलन में सड़कों पर पहुंच जाता है जबकि एक परिवार का एक सदस्य सैनिक भी है और दूसरा सदस्य किसान भी है। मैं यह महसूस करता हूँ कि यह वर्ग विद्वेष एवं वर्ग संघर्ष, समाज को अशांत करने का एक बहुत बड़ा हथियार है, और इस हथियार के एक भाग के रूप में किसान और मजदूर शब्दों का उपयोग किया जाता है जबकि कोई परिवार न सिर्फ किसान होता है, ना सिर्फ मजदूर होता है।

3. वर्ग निर्माण जातियों के आधार पर:- आज हम सामाजिक विषयों पर 15वें दिन की चर्चा कर रहे हैं। हम वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय की चर्चा कर रहे हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जातीय आरक्षण पूरी तरह से समाज को टुकड़ों में बांटने का एक उपक्रम मात्र रहा है। समाज को तोड़ने वालों का उद्देश्य काफी हद तक सफल भी रहा है। नेहरू परिवार की राजनीति तो इसी सामाजिक विद्वेष पर निर्भर रही है । लेकिन वर्तमान समय में जातिवाद का विरोध किसी अच्छे परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका मुख्य कारण है जातीय

आरक्षण। कल सर्वोच्च न्यायालय ने जातीय आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी 'उपजातियों' को आरक्षण घोषित कर सकते हैं साथ ही 'क्रीमीलेयर' को इन आरक्षित जातियों में से भी निकाल देना चाहिए। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है। हमें इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। हम जन जागरण के द्वारा जातिवाद का विरोध करने में असफल हैं। इन परिस्थितियों में इन जातीय एकता को छिन्न-भिन्न करना ही एकमात्र समाधान हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जातीय एकता छिन्न-भिन्न होती है, तब आरक्षण का जहर कुछ कम हो सकता है। मेरे विचार से हमारी राजनीतिक सत्ता को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और हमारे समाज व्यवस्था को जातीय आरक्षण का विरोध करना चाहिए। हमें अलग-अलग दिशाओं में सोचना और सक्रिय होना चाहिए। मैं तो इस मत का हूँ कि यदि मुसलमानों के अंदर भी कुछ जातियों को आरक्षण दे दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा।

4. अहिंसक होना ही हिंदुत्व की पहचान:- हम सामाजिक विषयों पर आज 16वें दिन चर्चा कर रहे हैं। आज हम गुलाम लोकतंत्र और लोक स्वराज की परिस्थितियों में हिंसा और अहिंसा या सावरकर और गांधी के विचारों की तुलना कर रहे हैं। एक सिद्धांत के अनुसार जब गुलामी होती है तो गुलामी से बचने का मार्ग हिंसक होना चाहिए या अहिंसक होना चाहिए इस पर विचार करने की आवश्यकता 50-50 प्रतिशत होती है। गुलामी के कालखंड में हिंसा का भी समर्थन किया जा सकता है और अहिंसा का भी, जैसा कि स्वतंत्रता के पहले सावरकर, सुभाष बाबू, भगत सिंह तथा गांधी के बीच में फर्क था। जब लोकतंत्र आया तो सैद्धांतिक रूप से हिंसा की कोई जरूरत नहीं रही लेकिन लोकतंत्र आने के बाद भी जब हमारी सरकार न्यूनतम हिंसा का सहारा लेने लग गई तब समाज में हिंसा की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्र में भी यदि न्याय और सुरक्षा नहीं मिलती है तो हिंसा की आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। नेहरू परिवार के कार्यकाल में यही हुआ। नेहरू परिवार गांधी का नाम लेकर राज्य व्यवस्था में न्यूनतम हिंसा के पक्ष में खड़ा हो गया। परिणामस्वरूप समाज में हिंसा का समर्थन लगातार बढ़ता गया जो 25-30% तक माना जाता है लेकिन जब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाज में न्याय और सुरक्षा मिलने की संभावना बढ़ गई है तब किसी भी परिस्थिति में कितनी

भी प्रतिशत की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। उस समय जो लोग हिंसा का समर्थन करते हैं, वह गलत माने जाते हैं। सच बात यह है कि दुनिया में हिंदू, यहूदी और इसाई अहिंसक होता है। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर हिंसक होने का जो मूर्खतापूर्ण आरोप लगाया, वह उनका हिंदुत्व के विषय में अज्ञानता है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हिंदू अहिंसक होता है। सच बात यह है कि जो अहिंसक होता है वही हिंदू माना जाता है चाहे वह दाढ़ी वाला हो या चोटी वाला। मेरा सुझाव है कि राहुल गांधी अपने आप पर फिर से विचार करें। साथ ही जो लोग यह कहते हैं कि हर हिंदू अहिंसक होता है वह भी अपनी भाषा में सुधार करें कि हर अहिंसक हिंदू होता है। हिंसा और अहिंसा की पहचान हमेशा प्रवृत्ति पर आधारित होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अहिंसक है तो हिंदू होगा और यदि हिंसक है तो या तो मुसलमान होगा या कम्युनिस्ट होगा। भारत में आज भी अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा को जितना समर्थन है उसका एक सौवां भाग भी गोडसे को नहीं है।

5. अव्यवस्था के मूल में अतिवादी सोच है:- आज सामाजिक विषय के 17वें दिन मैं विश्व व्यवस्था पर विचार रख रहा हूँ। स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल ही समाज विज्ञान है। इस समाज विज्ञान के निष्कर्ष ही समाजशास्त्र बनते हैं। वर्तमान समय में यह तालमेल बहुत गड़बड़ हो गया है इसलिए इस तालमेल को ठीक करने के लिए हम लोगों को विचार मंथन करना पड़ रहा है। पश्चिम ने हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया, वैयक्तिक स्वातंत्र्य की प्राथमिकता के कारण वहां न्याय की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी। जब व्यवस्था कमजोर होती गई और न्याय की मांग बढ़ती गई, तब अव्यवस्था हुई। दुनिया के जिन देशों ने लोकतंत्र की अंधी नकल की वहां अव्यवस्था बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उन देशों में न्याय की मांग बढ़ रही है और व्यवस्था कमजोर हो रही है। अभी कल ही हम लोगों ने बांग्लादेश में भी यही परिणाम देखा है। भारत में भी कुछ-कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हर लोकतांत्रिक देश न्याय की मांग बढ़ाता है दूसरी ओर दुनिया में जितने भी तानाशाह देश हैं वे चाहे कम्युनिस्ट हो या इस्लामिक देश, वहां न्याय की मांग को कमजोर करके व्यवस्था को हमेशा मजबूत किया जाता है। इन देशों में व्यक्ति को मौलिक अधिकार भी नहीं दिए जाते। व्यक्ति को राष्ट्रीय या धार्मिक संपत्ति माना जाता है। इन देशों में न्याय की मांग करना बहुत कठिन कार्य है। जहां पश्चिम के देशों में न्याय की परिभाषा इस प्रकार है कि चाहे 99 अपराधी छूट जाय किंतु एक भी निरपराध दंडित ना हो, वही साम्यवादी

और मुस्लिम देशों की परिभाषा इस प्रकार बनी है कि चाहे 99 निरपराध दंडित हो जाए लेकिन एक भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। मेरे विचार से पश्चिम के लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच यह दोनों अतिवादी विचार ही वर्तमान अव्यवस्था के मुख्य कारण है। दुर्भाग्य से भारत ने स्वतंत्रता के बाद पश्चिम के लोकतंत्र और साम्यवाद की तानाशाही की एक खिचड़ी बनाने की कोशिश की। अपने भारत के भारतीय प्रणाली को किनारे करके यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की बनी खिचड़ी ही आज हमारी परेशानी का मुख्य कारण है। इस विषय पर मैं कल और लिखूंगा।

6. स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल कैसे हो:- कल मैंने लोकतंत्र और तानाशाही के बीच बढ़ती दूरी के परिणाम पर चर्चा की थी। आज 18वें दिन मैं इसके समाधान पर चर्चा कर रहा हूँ। दुनिया में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच लगातार जो दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि लोकतंत्र आवश्यकता से अधिक व्यक्ति स्वातंत्र्य की तरफ झुक गया है और तानाशाही आवश्यकता से अधिक सत्ता के पास इकट्ठी होती जा रही है। इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। इन दोनों के बीच का तालमेल है अपना भारत, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उद्दंडता की छूट नहीं दी जा सकती और सामाजिक व्यवस्था के नाम पर केंद्रित सत्ता या तानाशाही की छूट भी नहीं दी जा सकती। लेकिन दुनिया ने भारत की व्यवस्था को नकार दिया जो लोकतंत्र या तानाशाही के बीच ही उलझ कर रह गई है जबकि भारत में एक परिवार व्यवस्था के नाम से संतुलन बनाने की कोशिश की है। परिवार व्यवस्था का मतलब यह है कि व्यक्ति की सहमति के बिना उसे ना तो परिवार में शामिल किया जा सकता है ना उसे जबरदस्ती रोक कर रखा जा सकता है अर्थात व्यक्ति की सहमति उसकी स्वतंत्रता तक अनिवार्य है। दूसरी ओर व्यक्ति को किसी न किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़कर परिवार बनाना ही होगा। यह सामाजिक अनिवार्यता भी आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता और सहजीवन का अच्छा तालमेल परिवार व्यवस्था है जो ना पश्चिम के लोकतंत्र को स्वीकार है और ना साम्यवादियों की तानाशाही को। परिवार व्यवस्था व्यक्ति की उद्दंडता भी नियंत्रित करती है और व्यक्ति को गुलाम बनने के लिए मजबूर भी नहीं करती। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति परिवार से अलग होने के लिए या असहमत होने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहे और अपनी संपत्ति और स्वतंत्रता को परिवार के साथ संयुक्त करने के लिए भी बाध्य रहे। मैं यह समझता हूँ कि

उद्दंडता और गुलामी के बीच परिवार व्यवस्था बहुत अच्छा समाधान है। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच परिवार व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम एक संयुक्त परिवार व्यवस्था का उदाहरण भारत से प्रस्तुत करें तो सारी दुनिया इसके चमत्कार से प्रभावित हो जाएगी।

7. विदेशी हस्तक्षेप से दुष्प्रभावित होता लोकतंत्र:- आज मैं एक सामाजिक विषय पर आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत और चीन एक साथ आजाद हुए किंतु आर्थिक मामलों में चीन बहुत आगे बढ़ गया और भारत चीन की अपेक्षा बहुत पीछे रह गया। आखिर इसका कारण क्या है। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो चीन में तानाशाही रही और भारत में लोकतंत्र रहा। आदर्श स्थिति में लोकतंत्र अच्छा होता है लेकिन विकास की दृष्टि से तानाशाही लोकतंत्र की तुलना में अधिक सफल होती है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत के अंदर चीनी एजेंट पहुँचकर भारत के विकास में दखल देते रहे। चीन भारत में अपने एजेंटों को धन से मदद करता रहा और यह एजेंट भारत में उद्योगों में हड़ताल करते रहे, उत्पादन को प्रभावित करते रहे, भारत में आंतरिक अशांति फैलाते रहे। यह एजेंट मिलकर दिन-रात श्रमिकों को आगे खड़ा करके उद्योगपतियों को गालियां देते रहे, सारे उत्पादन भारत में प्रभावित हुए, इसके कारण भारत का विकास बहुत कम हो पाया। दूसरी ओर भारत में पश्चिम के देशों ने भी अपने एजेंट खड़े कर दिए, पर्यावरण के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर या अन्य किसी भी आधार पर यह पश्चिम के एजेंट भारत में अशांति फैलाते रहे एवं वर्ग विद्वेष बढ़ाते रहे। अगर हम एक अलग तरीके से देखें तो मुस्लिम देशों ने भी भारत में अपने एजेंट खड़े करके धन दे-देकर भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, यहां तक कि विदेशी सरकारों ने खालिस्तानियों को भी आर्थिक मदद दी। इस तरह भारत में विदेशी अपने-अपने एजेंटों को खड़ा करके यहाँ के उत्पादन को प्रभावित करते रहे। आज भी ऐसे विदेशी एजेंट सबसे ज्यादा भारत के उद्योगपतियों को गाली देते हैं, वर्ग विद्वेष फैलाते हैं, सांप्रदायिक टकराव बढ़ाते हैं और भारत के विकास को रोकने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि भारत की जनसंख्या पर्याप्त होते हुए भी, बुद्धि के मामले में भी बहुत आगे रहते हुए भी विकास के मामले में दुनिया से पीछे रहा है और उसका कारण है कि भारत में चारों तरफ से एजेंट विदेश का पैसा ले लेकर भारत को अस्थिर करना, कमजोर करना। आज भी भारत में यह विदेशी एजेंट भारत के उद्योगपतियों को दिन-रात गाली

देने के अलावा भारत के कल-कारखानों को बंद करने के अलावा, भारत में सांप्रदायिक जातीय झगड़ा करने के अलावा कोई अन्य रोजगार का काम नहीं करते और गुप्त रूप से विदेश से धन लेते हैं। इस प्रकार के भारत में घुसे हुए विदेशी एजेंटों को पहचानने की जरूरत है।

8. व्यक्ति की पहचान के आठ आधार:- सामाजिक विषय पर चर्चा का आज 19वां दिन है। यहां हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का जब दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है तो उस संपर्क में आठ प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं- एक शत्रु, दूसरा विरोधी, तीसरा आलोचक, चौथा समीक्षक, पांचवा प्रशंसक, छठा समर्थक, सातवां सहयोगी और आठवां सहभागी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन आठों प्रकार के व्यक्तियों में से कौन किस तरह का है यह पहचानना बहुत कठिन होता है। जब हम समझदार नहीं होते हैं तब हम कई बार आलोचक को शत्रु मान लेते हैं, शत्रु को आलोचक मान लेते हैं, प्रशंसक को सहभागी मान लेते हैं या समर्थक को हम सहयोगी मान लेते हैं। इस तरह हमें अज्ञान के कारण भ्रम हो जाता है। हम उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और इसका नुकसान उठाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को यदि यह जानकारी हो जाए कि यह आठ प्रकार की अलग-अलग भूमिकाएं क्या है और हम किस आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं तो हर आदमी को बहुत सुविधा हो जाएगी। हम अगले 8 दिनों तक इसी विषय पर अलग-अलग चर्चा करेंगे कि यह आठ प्रकार के संबंध अलग-अलग कैसे होते हैं? इनकी पहचान क्या है? और इस पहचान के मामले में हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि शत्रु की पहचान क्या है और वर्तमान समय में सारी दुनिया में शत्रु किसे माना जा सकता है।

हम सामाजिक विषयों की श्रृंखला में आज शत्रु से लेकर सहभागी तक की अलग-अलग भूमिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज हम शत्रु की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति चार अलग-अलग भूमिकाओं में होता है, व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और समाज। यह चारों भूमिकाएं अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जब हम शत्रु की समीक्षा करते हैं तो मेरा या मेरे परिवार का ना कोई विरोधी है ना कोई शत्रु है। यदि हम राष्ट्र के हिसाब से आकलन करें तो अभी भारत का कोई शत्रु नहीं है, विरोधी हो सकते हैं। यदि हम संपूर्ण समाज का आकलन करें तो पूरी दुनिया की सामाजिक व्यवस्था में शत्रु की भूमिका में एकमात्र साम्यवाद ही पाया जाता है। शत्रु की भूमिका होती है कि वह अति धूर्त होता है वह साम, दाम,

दंड, भेद सब का समान रूप से उपयोग करना जानता है। शत्रु निरंतर हमें धोखा भी दे सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है, अत्याचार भी कर सकता है, शत्रु हमारे विरुद्ध झूठ भी बोल सकता है, किसी भी प्रकार के झूठे आरोप लगा सकता है जबकि विरोधी झूठ नहीं बोल सकता, यह दोनों के बीच अंतर होता है। शत्रु हमें गुलाम बनाकर भी रख सकता है। यदि हम साम्यवाद की समीक्षा करें तो साम्यवादियों की सात विशेष पहचान मानी जाती है। पहली हिंसा का समर्थन, दूसरी निरंतर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन, तीसरी सत्ता का अधिकतम केंद्रीयकरण या तानाशाही का समर्थन, चौथी अर्थव्यवस्था का अधिकतम केंद्रीयकरण और सत्ता तथा अर्थ का एकीकरण, पांचवी श्रम शोषण के नए-नए तरीके खोज कर बुद्धिजीवियों को आगे करना, छठी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह छिन्न-भिन्न या समाप्त करना और सातवीं व्यक्ति की योग्यता को किनारे करके प्रतिस्पर्धाओं को महत्वहीन बनाना। यदि हम ठीक से देखेंगे तो दुनिया का साम्यवाद इन सातों मान्यताओं पर पूरी तरह खरा उतरता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व समाज के लिए साम्यवाद शत्रु के समान माना जाता है। आज दुनिया ऐसा मानती भी है, मेरा भी यह मानना है कि साम्यवाद को समाज का शत्रु मानना चाहिए। एक सावधानी रखी जाती है कि कभी भी एक से अधिक शत्रु घोषित नहीं करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में एक से अधिक शत्रु दिखते भी हो तब भी शत्रु एक को ही घोषित करना चाहिए, एक से अधिक नहीं। दूसरे शत्रु को मित्र बना लेना चाहिए। यही वास्तविकरण नीति है। इस तरह मेरा यह सुझाव है कि चाहे हम व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रीय या सामाजिक किसी भी स्तर पर दूसरों से व्यवहार करें तो कभी भी किसी भी स्तर पर एक से अधिक शत्रु कभी घोषित नहीं करना चाहिए।

9. महिला सशक्तिकरण का नारा सामाजिक संतुलन बिगाड़ता रहा:- आज हम दोबारा सामाजिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम महिला अत्याचार से जुड़ी तीन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। एक घटना बंगाल में होती है जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। देशभर के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा के नाम पर आंदोलन शुरू कर दिया। देशभर की राजनीतिक पार्टिया सक्रिय हो गई, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी दौड़ धूप करने लगे, उच्च न्यायालय ने तत्काल कार्यवाही करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। इस महिला डॉक्टर की हत्या को एक बहुत बड़ी घटना के रूप में स्थापित किया गया। एक दूसरी

घटना मध्य प्रदेश की है जहां के स्कूल में एक मोबाइल चोरी हो जाता है, स्कूल की महिला टीचर उस मोबाइल की जांच करने में 6 बच्चियों को उनके कपड़े उतरवा कर जांच करती है, यह मामला बहुत तूल पकड़ता जाता है। बच्चियों के कपड़े उतारे गए, यह मामला बढ़ते-बढ़ते हाई कोर्ट तक चला जाता है। उस महिला टीचर के खिलाफ पास्को का कानून लागू करने की मांग की जाती है। इस मामले को इतना ज्यादा उछाला जा रहा है जैसे कि उस महिला टीचर ने कोई बलात्कार कर दिया हो या कोई बहुत गंभीर अपराध कर दिया हो। एक तीसरी घटना और हुई कि एक महिला नेता ने अपने विरोधी दल के एक नेता जो पूर्व परिचित था, अपनी भतीजी के साथ रात में जाती है, वह वहां उस विपक्षी नेता से चर्चाएं करती है। वह उस नेता को उस लड़की का उपयोग करने की कुछ बात करती है और वह नेता उस बात में फंस जाता है वह महिला तुरंत बाथरूम जाती है और इसी बीच में वह नेता उस लड़की के कपड़े उतरवाता है, अपने कपड़े उतारता है, तब तक वह महिला बाथरूम से पुलिस को फोन कर देती है, तुरंत पुलिस आ जाती है उन दोनों अर्धनग्न नेता और लड़की के फोटो ले लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। मैं आज तक नहीं समझ सका कि हम समाज को इस प्रकार महिला और पुरुष के बीच में बांटकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्या इससे धूर्त महिलाएं मजबूत और शरीफ पुरुष ब्लैकमेल नहीं होंगे? क्या इससे सामाजिक टकराव नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं हम कॉमन सिविल कोड की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें महिला-पुरुष, डॉक्टर, किसान, गरीब-अमीर आदि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सबके अधिकार बराबर हो, हर शरीफ आदमी को सुरक्षा मिले और हर अपराधी दंडित हो। मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि महिला सशक्तिकरण का नारा बहुत घातक है और इस पर देश को फिर से विचार करना चाहिए।

10. जातीय आरक्षण एक घातक व्यवस्था:- पूरी दुनिया में यह एक मान्य सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण से बुद्धिजीवियों में निराशा और आक्रोश बढ़ता है क्योंकि आरक्षण से योग्यता का शोषण होता है इसलिए आरक्षण हमेशा समाज में असंतोष बढ़ाने का कारण होता है। भारत में कई सौ वर्षों से जातीय आरक्षण था जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा। आरक्षण हमेशा घातक होता है चाहे वह राजनीति का आरक्षण हो, धार्मिक आरक्षण हो अथवा जातीय आरक्षण हो। बांग्लादेश में जो आरक्षण है वह राजनीतिक आरक्षण था। इस आरक्षण का कट्टरपंथी मुसलमान ने लाभ उठाकर वहां आरक्षण विरोधियों के साथ कट्टरवादियों ने मिलकर

सफलतापूर्वक तख्तापलट कर दिया। भारत में स्वतंत्रता के तत्काल बाद धार्मिक आरक्षण भी लागू हुआ। इस धार्मिक आरक्षण के कारण ही पिछले 10 वर्षों से जो असंतोष बढ़ा हुआ था उसका लाभ संघ परिवार और मोदी ने उठाया। यदि पंडित नेहरू ने मुसलमान को स्वतंत्रता के बाद धार्मिक आरक्षण नहीं दिया होता, तो संभव है कि नरेंद्र मोदी इसका लाभ नहीं उठा पाते। भारत में जातीय आरक्षण है इसके कारण भी पूरे समाज में बहुत आक्रोश है, बहुत असंतोष है लेकिन इस आक्रोश का लाभ उठाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है क्योंकि जब तक कोई इसका लाभ नहीं उठाता है, तब तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत में विपक्ष इस जातीय आरक्षण का समर्थक है और यही कारण है कि वह जातीय आरक्षण का लाभ नहीं उठा सका जो बांग्लादेश में उठाया गया, जो नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया, लेकिन जाति आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी कभी ऐसा समय आ सकता है कि इस जातीय आरक्षण का लाभ उठाने वाली परिस्थितियां न रह जाए और उन परिस्थितियों का लाभ उठा रहे लोगों के लिए इस प्रकार घातक हो जाए जिस तरह बांग्लादेश में हुई, जिस तरह पिछले समय में नेहरू परिवार की हुई। इस विषय में अभी कोई स्पष्ट परिस्थितियां नहीं है लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हम सामाजिक चर्चा के अंतर्गत कई दिनों से जातीय धार्मिक आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण किसी भी प्रकार का घातक है चाहे वह महिला-पुरुष का हो अथवा जातीय हो अथवा धार्मिक। गांधी किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू भी गांधी के साथ थे, पंडित नेहरू पूरी तरह मुसलमान के पक्ष में थे। अंबेडकर जाति और महिला आरक्षण के पक्ष में थे जबकि नेहरू ज्यादा मुस्लिम आरक्षण के। नेहरू और अंबेडकर ने समझौता कर लिया। भारत का मुसलमान रोजगार में या नौकरी में आरक्षण नहीं चाहता था। भारत का मुसलमान आबादी बढ़ाने की स्वतंत्रता चाहता था। नेहरू ने हिंदू कोड बिल बनवाकर मुसलमान को आरक्षण दे दिया कि मुसलमान एक से अधिक शादियां कर सकता है, वह आबादी बढ़ा सकता है, वह अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर सकता है और हिंदुओं पर प्रतिबंध रहेगा। इस तरह भारत में मुस्लिम आरक्षण की नींव पड़ी। दूसरी ओर अंबेडकर ने जातीय आरक्षण देकर हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने का सारा इंतजाम कर दिया। इस तरह इस आरक्षण की बीमारी ने अपने देश में हिंदुओं की एकजुटता का नुकसान किया। गांधी ने न चाहते

हुए भी 10 वर्षों के लिए आरक्षण स्वीकार कर लिया जिससे आपस में किसी तरह की फूट ना पड़े। लेकिन गांधी किसी भी रूप में मुस्लिम आरक्षण के समर्थक नहीं थे। गांधी के मरने के बाद सांप्रदायिक नेहरू ने यह सारी व्यवस्था की। इस तरह नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर भारत में आरक्षण रूपी बीमारी डाल दी और उस बीमारी से भारत का बहुसंख्यक हिंदू आज तक पीड़ित है। आज भी इस आरक्षण रूपी बीमारी का कोई समाधान दिख नहीं रहा है लेकिन हमें इसका समाधान खोजना ही होगा। धार्मिक आरक्षण के समाधान के लिए कल नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बता दी है, वह सबसे अच्छा समाधान है। मुझे मालूम है कि कुछ कट्टरपंथी हिंदू और आमतौर पर मुसलमान नरेंद्र मोदी की इस योजना का खुला विरोध करेंगे क्योंकि सांप्रदायिक हिंदू या मुसलमान को यह योजना बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि भारत का 90% हिंदू हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहता है, वह सांप्रदायिक होता ही नहीं है। इसलिए कुछ मुट्ठीभर कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर भी इस योजना को फेल नहीं कर पाएंगे।

यह साफ हो चुका है कि जातीय टकराव एक गंभीर सामाजिक समस्या हैं। हजारों वर्षों से इन समस्याओं का कोई अच्छा समाधान नहीं खोजा जा सका। स्वतंत्रता के बाद भारत में इन समस्याओं के समाधान के लिए गांधी, आर्य समाज, श्रीराम शर्मा के गायत्री परिवार जैसी कुछ सामाजिक संस्थाओं ने बीड़ा उठाया। दूसरी ओर अंबेडकर तथा कुछ अन्य जातिवादी संगठनों ने इन समस्याओं से लाभ उठाने का प्रयत्न किया और उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से इन्होंने भारत में जातीय आरक्षण लागू कर दिया। इसी तरह का आरक्षण बांग्लादेश में भी शेख हसीना ने लागू किया था। इस प्रकार के आरक्षण हमेशा वर्ग संघर्ष बढ़ाते हैं और इसके परिणाम में सामाजिक विघटन होता है। यही प्रयास जीवन भर पंडित नेहरू ने किया जिन्होंने लगातार मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया और यही अंबेडकर ने किया। इस प्रकार के जातीय सांप्रदायिक आरक्षण के परिणाम अब धीरे-धीरे प्रकट होने लगे हैं। मणिपुर में हमने इसी प्रकार के आरक्षण से पैदा होने वाली हिंसा देखी है, जिस हिंसा को बढ़ाने और उसका लाभ उठाने में नेहरू परिवार पूरे जोर-शोर से लगा हुआ है। आज से 15-20 वर्ष पूर्व हम लोगों ने उड़ीसा में भी ऐसे आरक्षण के परिणामस्वरुप होने वाली हिंसा का परिणाम देखा है और अभी एक सप्ताह पहले ही हमने बांग्लादेश में इसका परिणाम देखा। बांग्लादेश की घटनाओं पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हमारा मुख्य विषय यह है कि आरक्षण किसी भी समस्या का समाधान नहीं

है बल्कि उस समस्या से लाभ उठाने का माध्यम मात्र है। मेरे विचार से इस समस्या का अब समाधान खोजने की आवश्यकता है।

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

11. मजहबी कट्टरता के विरुद्ध हिन्दुओं को विश्व जनमत का नेतृत्व करना चाहिए: असम के मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी दी है कि यदि भारत के आम लोग सावधान नहीं हुए तो अगले 15-20 वर्षों में असम मुस्लिम बहुल प्रदेश बन जाएगा। यह चेतावनी बहुत गंभीर है और सच भी दिखती है। जिस तरह भारत में साम्यवाद और इस्लाम का नेहरू परिवार के साथ मजबूत गठजोड़ बना है, उसका प्रभाव असम पर सबसे पहले पड़ने वाला है। प्रश्न यह है कि समस्या गंभीर है जिसे मैं भी समझता हूँ और भी बहुत लोग समझते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान में कहीं ना कहीं संघ बाधक बन रहा है। संघ हमेशा इस्लाम का विरोध करता है और इस मामले में हम लोग संघ का साथ देते हैं, इसके बाद भी संघ के तरीके से इस्लाम के खतरे को रोका नहीं जा सकेगा क्योंकि मुसलमान का खतरा देखकर संघ समाधान नहीं करना चाहता, बल्कि लाभ उठाना चाहता है। मुसलमान बढ़ रहे हैं इसलिए उसका लाभ हिंदुओं को बढ़ाया जाए, यह इसका अच्छा समाधान नहीं है। अच्छा समाधान तो यह है कि हम इस खतरे के लिए पूरे देश को जागृत करें, सिर्फ हिंदू ही नहीं उसमें सबको शामिल करें जो देशभक्त हो चाहे वह मुसलमान हो चाहे कांग्रेसी हो अन्य कोई भी हो, सबको शामिल करें लेकिन मुसलमान के खतरे का हल्ला करके यदि ईसाइयों का विरोध किया जाएगा, यदि कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जाएगा, यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई जाएगी तो मेरे समझ में इस समस्या के समाधान में संघ सबसे बड़ा बाधक है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुत्व सारी दुनिया में फैले लेकिन राजनीतिक शक्ति के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर, विचारों के आधार पर, प्रेम और भाईचारा के आधार पर। हिंदुत्व का प्रचार अकल से करने की जरूरत है, डंडे के सहारे से नहीं, संघ डंडे से करना चाहता है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के वोटो में थोड़ी-सी गिरावट आई तो संघ तुरंत डंडा लेकर प्रश्न खड़ा करने लगा। बेचारे नरेंद्र मोदी के लगातार सब तरह से ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी संघ इस तरह आज सामने प्रश्न करने लगा जिस तरह स्वतंत्रता के बाद तुरंत गांधी पर प्रश्न करने लगा

था। वर्तमान समय देश में इस्लाम के आधार पर आपातकाल है। इस समय देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बहुत जरूरत है। इस समय संघ को अनावश्यक बातें छोड़कर राष्ट्रीय एकता का कार्य करना चाहिए। यह समय हिंदू मुसलमान इसाई का नहीं है, यह समय कांग्रेस बीजेपी और संघ का नहीं है, यह समय देश बचाने का है।

पिछले कुछ वर्षों से सारी दुनिया एक विचित्र संकट से गुजर रही है। दुनिया में चार ऐसी ताक़तें हैं जो स्वतंत्र हैं और समानांतर भी हैं उनमें इसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट और हिंदू यह चारों की ताकत दुनिया में लगभग समान मानी जाती है। यद्यपि तीन की तुलना में हिंदू कुछ कमजोर हैं। यदि दुनिया की दो ताक़तें एक साथ हो जाए तो दोनों मिलकर भारी पड़ सकती है इन ताकतों में भी मुसलमान और कम्युनिस्ट यह दोनों लड़ाकू जाति मानी जाती हैं जबकि इसाई और हिंदू अपेक्षात शांतिप्रिय होते हैं। स्पष्ट है कि यदि दुनिया में मुसलमान और कम्युनिस्ट पूरी तरह एकजुट हो जाएं तो सारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यही कारण है कि पश्चिम के देश पूरी ताकत लगा करके भी इन दोनों को एकजुट नहीं होने देते क्योंकि दोनों का एकजुट होना कयामत ला सकता है। दुर्भाग्य से भारत एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जहां मुसलमान और कम्युनिस्टों के साथ नेहरू परिवार देश के साथ विश्वासघात करते हुए सत्ता के लालच में इन दोनों के साथ जुड़ा रहा है। नेहरू से लेकर आज तक इस परिवार का यही खेल चलता रहा और आज भी यही चल रहा है। स्पष्ट है कि भारत की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। इन तीनों का एकजुट होना बहुत खतरनाक है लेकिन यह तीनों इस तरह एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि तीनों को अलग-अलग करना भी असंभव है और बिना तीनों में फूट डालें इसका समाधान भी नहीं दिखता है। वर्तमान चुनाव के पहले यह स्थिति इतनी गंभीर नहीं दिख रही थी जितनी कि आज दिख रही है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार की एकता में किसी न किसी तरह भेद पहुंचाना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन संघ इस बात को नहीं समझता। नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरह अगर कांग्रेसियों को भी तोड़ते हैं तो संघ मुंह फुलाता है, अगर नरेंद्र मोदी मुसलमान के साथ कुछ बात करते हैं तो संघ मुंह फुलाता है। यदि नरेंद्र मोदी ईसाइयों से कोई समझौता करते हैं तब भी संघ को बुरा लगता है। आप बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है। वर्तमान चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को यह

चाहिए था कि वह अलग से बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ बात करते, आंतरिक सलाह करते लेकिन जिस तरह मोहन भागवत ने खुलेआम नरेंद्र मोदी की ओर इशारा किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं मानता हूँ कि संघ ने पूरी ईमानदारी से ताकत लगाई लेकिन संघ को यह बात समझनी चाहिए कि बुद्धि का कार्य डंडे से नहीं हो सकता। अब मेरा यह सुझाव है कि संघ पूरी तरह 5 वर्ष तक नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान ले क्योंकि यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिये संकट का सवाल है, भारत के संकट का सवाल है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, यह देश के अस्तित्व का सवाल है। संघ को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। हिंदू हिंदू रटना छोड़ कर खतरे से बचने का समाधान खोजना चाहिए।

12. विभाजन के निर्देशक कौन: भारत विभाजन के लिए तीन लोग ज्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं, एक जिन्ना दूसरे सावरकर और तीसरे अंबेडकर। इन तीनों में से भी अंबेडकर ने गांधी के साथ समझौता कर लिया लेकिन जिन्ना और सावरकर दोनों ही गांधी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर लाखों लोग मारे गए जिनमें मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। यदि सावरकर गांधी की बात मान लेते तब भारत में मुसलमान नहीं मारे जाते और पाकिस्तान में भी हिंदू अपेक्षाकृत कम मारे जाते क्योंकि यदि एक तरफ पाकिस्तान में कत्लेआम होता और भारत शांत रहता तो सरदार पटेल तमाशा नहीं देखते रहते दुनिया तमाशा नहीं देखती। हो सकता था कि सारी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डालती या पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया जाता लेकिन सावरकर की मूर्खता के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों जगह इतना बड़ा कत्लेआम हुआ जिसमें हिंदुओं को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन्ना, सावरकर और अंबेडकर इन तीनों ने विभाजन का दोषी गांधी को बता दिया। यह बहुत आश्चर्यजनक है जबकि विभाजन में गांधी का कभी कोई हाथ नहीं रहा है।

13. गाँधी के नाम सजी है, राजनीति की दुकान: इस देश में स्वतंत्रता के बाद जितनी दुकानदारी गांधी के नाम पर हुई है, उतनी दुकानदारी किसी अन्य नाम पर नहीं हुई। राजनेताओं

के दो गुट बन गए एक गुट का नेतृत्व नेहरू परिवार के साथ रहा दूसरे गुट का नेतृत्व सावरकर के साथ रहा। यह दोनों अलग-अलग दिशाओं में बंटकर गांधी के नाम का नाटक करते रहे और दोनों ही सारी मलाई खाते रहे। एक गुट गांधी को माला पहनाकर गांधी की प्रशंसा करके सारे देश को लूटता रहा तो दूसरा गुट गांधी को गाली देकर अपने सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। दोनों का उद्देश्य एक ही था किसी तरह सत्ता प्राप्त करना। सावरकरवादी लगातार यह प्रयत्न करते रहे कि अधिक से अधिक गांधी का विरोध किया जाए जिससे उनके साथ बड़ी संख्या में हिंदू जुट जाएं नेहरू परिवार लगातार प्रयत्न करता रहा कि अधिक से अधिक गांधी की प्रशंसा की जाए जिससे सावरकरवादियों का विरोध करने वाले सारे मुसलमान, कम्युनिस्ट, गांधीवादी या और जितने भी गांधी भक्त हैं वह सब नेहरू परिवार के झंडे तले रहे। दोनों ही गुटों का उद्देश्य एक था और दोनों आज तक अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। आज भी बात-बात में नेहरू परिवार गांधी का नाम लेता है जबकि गांधी के विचारों से इस परिवार का कोई संबंध नहीं है इस परिवार ने तो गांधी नाम भी अपने साथ जोड़ लिया है दूसरी ओर सावरकर के लोग दिन-रात गांधी को गाली देते हैं यहां तक कि स्वतंत्रता में गांधी की भूमिका भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि गांधी को गाली देना ही उनके लिए सबसे लाभदायक है। जब से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जोड़ी आगे आई है, जब से इन दोनों ने मिलकर गांधी को प्रातः स्मरणीय और सम्माननीय मान लिया है तब से गांधी के नाम की दुकानदारी करने वाले दोनों ही गुटों को मोदी और मोहन भागवत पसंद नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं कि नेहरू परिवार जितना नरेंद्र मोदी को गाली देता है उतना ही सावरकरवादी भी नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। यह दोनों गांधी नाम की दुकानदारी करने वाले आज नरेंद्र मोदी से इसलिए नाराज हैं कि नरेंद्र मोदी गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, गांधी को प्रातः स्मरणीय मान रहे हैं। गांधी को सम्मान दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों दुकानदारों को भगा दिया जाए और अब हम सब लोग गांधी विचारों के साथ खड़े हो जायें।

14. गाँधी विचारों के सबसे बड़े विरोधी कम्युनिस्ट: भारत के अधिकांश गांधीवादी कम्युनिस्टों, नेहरू परिवार और उग्रवादी मुसलमान के साथ जुड़ गए हैं। गांधीवादियों पर कम्युनिस्टों का बहुत अधिक प्रभाव हो गया है। इसका मुख्य कारण हमारे देश के सावरकरवादी है जो दिन-रात गांधी को गाली दे देकर गांधीवादियों को साम्यवादियों के साथ जुड़ने पर मजबूर

कर रहे हैं। सच बात यह है कि कम्युनिस्ट अक्ल से काम लेता है, सावरकरवादी डंडे से काम लेते हैं। जब से पिछले 10 वर्षों से मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने मिलकर सावरकरवादियों को किनारे किया और वैचारिक हिंदुत्व को आगे बढ़ाना शुरू किया, तब से साम्यवाद का प्रभाव भी घट रहा है, नेहरू परिवार का प्रभाव भी घट रहा है। मैं सावरकरवादियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वह बुद्धि से काम ले, अब डंडा काम में नहीं आएगा। अब गांधी और सावरकर दोनों को गालियां देना बंद करिए। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत जो मार्ग बता रहे हैं, वही अच्छा मार्ग है।

मैं जानता हूँ कि आज मैंने जो पोस्ट लिखी है, उससे अधिकांश लोग सहमत नहीं होंगे क्योंकि किसी तरह ले देकर गांधी तक तो लोग पचा रहे थे लेकिन जिस तरह मैंने मदर टेरेसा और यहूदियों को भी जोड़ लिया इसके कारण आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा। मैं भी समझता हूँ और यह बात स्वाभाविक भी है लेकिन वर्तमान वातावरण में मैं वास्तविकता प्रकट करने के लिए मजबूर हूँ। 4 जून के बाद मैंने यह महसूस किया कि हम लोग भारत में खतरे को जितना बड़ा समझ रहे थे, खतरा उससे कई गुना बड़ा है। वर्तमान भारत में खतरा कांग्रेस नहीं है खतरा विपक्ष नहीं है, मुख्य खतरा है साम्यवाद। जब साम्यवाद इस्लाम के साथ जुड़ जाता है, वह खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और यदि उसके साथ नेहरू परिवार जैसा राजनीतिक नेतृत्व जुड़ जाए, तब उस खतरे को साधारण समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए खतरे की गहराई को समझते हुए मैं आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी कुछ लिख रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने जो भी दूसरा व्यक्ति होता है वह चार परिस्थितियों में हो सकता है या तो वह हमारा समीक्षक हो या आलोचक हो या विरोधी हो या शत्रु हो, इन चारों स्थितियों को भांप कर ही हमें उसके साथ अपना व्यवहार निश्चित करना चाहिए। मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में आर्य समाज, गायत्री परिवार यह सब हमारे समीक्षक हैं। शांतिपूर्ण मुसलमान और इसाई यहूदी हमारे प्रतिस्पर्धी मात्र हैं, विरोधी और शत्रु नहीं। गांधीवादी भी तब तक हमारे समीक्षक हैं जब तक वह कम्युनिस्टों के गुलाम ना हो। आम मुसलमान को हम विरोधी मांन सकते हैं क्योंकि आम मुसलमानों की सहानुभूति विदेश से भी है। साम्यवाद हमारा शत्रु है साम्यवाद ना हमारा विरोधी है, ना प्रतिस्पर्धी और ना आलोचक है, समीक्षक तो है ही नहीं। जब शत्रु मजबूती के साथ खड़ा है, जब शत्रु के साथ मुसलमान भी खड़ा है, नेहरू परिवार भी

खड़ा है ऐसी स्थिति में हमें शत्रु के खिलाफ शत्रु को मित्र बनाने की जरूरत है। यदि हम शत्रुओं को एकजुट हो जाने देंगे तो हम मूर्खता करेंगे। वर्तमान भारत में हमारे सावरकरवादी मित्र यही मूर्खता कर रहे हैं कि वह शत्रु के शत्रु को भी एकजुट होने दे रहे हैं। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि वर्तमान खतरनाक परिस्थितियों में बुद्धि से काम लेने की जरूरत है, डंडे से नहीं। मैंने आपको सुबह के लेख में मीठी बातें ना कह कर कुछ कड़वी बातें कही है लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वर्तमान परिस्थितियों में सच्चाई आपके सामने रखूं।

15. राहुल गाँधी के प्रयोग भी उन्हीं की तरह असंगत: यह बात सर्वविदित है कि कई वर्षों से राहुल गांधी अपनी जाति की जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जनेऊ पहन कर अपने को ब्राह्मण बताया था और ब्राह्मणों में भी अपना गोत्र बताया था लेकिन कुछ वर्षों में ही उन्हें यह आभास हो गया कि यह तो उचित नहीं है क्योंकि दादा पारसी, दादी कम्युनिस्ट, माँ इसाई और राहुल गांधी ब्राह्मण, यह कैसा ब्राह्मण? क्या हिंदू यह स्वीकार करेगा? तब उन्होंने मुसलमानों में अपनी जाति खोजनी शुरू की। मुसलमान के साथ संपर्क बढ़ाया, उन्होंने प्रेम की दुकान खोली, मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि मुसलमानों में तो मेरी कोई जाति ही नहीं है, तब हार थक कर उनको यह आभास हुआ कि कम्युनिस्ट बनना ही सबसे आसान है क्योंकि कम्युनिस्ट नास्तिक होता है, जाति विरोधी होता है, धर्म विरोधी होता है, समाज विरोधी होता है, कम्युनिस्ट में नैतिकता की कोई पूछ परख नहीं है। कम्युनिस्ट हमेशा वाममार्गी होता है। वहां वाममार्ग की छूट है कोई भी नशा कर सकते हैं, किसी भी तरह की अय्याशी कर सकते हैं। उनको साम्यवाद अच्छा लगा लेकिन राहुल गांधी को अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रश्न पूछ कर विचलित कर दिया। उनकी मोहब्बत की दुकान क्रोध और आवेश में बदल गई, जब संसद में उनसे जाति पूछ दी गई। उस समय मैंने राहुल गांधी का चेहरा देखा राहुल गांधी का एक्शन देखा उस समय राहुल गांधी ने जिस तरह उंगली दिखाते हुए अनुराग ठाकुर पर अपना क्रोध दिखाए वह दृश्य बार-बार देखने लायक है कि एक मोहब्बत की दुकान पर इतना भी गंदा सामान बिकता है। उस दिन से राहुल गांधी बहुत विचलित हैं, अपने को चिंता मुक्त रखने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन तीर इतनी गहराई तक जाकर लगा है कि राहुल गांधी को रात को नींद नहीं आ रही है और अपनी चिंताओं को हटाने के लिए तरह-तरह के

उपाय कर रहे हैं लेकिन इन सब प्रयत्न के बाद भी यह घाव भर नहीं रहा है, मिट नहीं रहा है। देखिए और कुछ दिनों में यह चोट कितना बड़ा विस्फोट करती है?

16. भारतीय उद्योगपतियों के सहारे भारत का बज़ट: मैंने आज के अखबारों में पढ़ा कि भारत सरकार का जितना कुल बजट 48 लाख करोड़ है उसका तीन प्रतिशत से कुछ ज्यादा सिर्फ एक मुकेश अंबानी की कंपनी देती है। रिलायंस कंपनी डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स देती है जबकि षि विभाग पर होने वाला खर्च भी इसके आसपास ही होता है। स्वाभाविक है कि सभी विपक्षी दल अडानी अंबानी का विरोध करते हैं क्योंकि सबको यह लगता है अगर इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए तो भारत सरकार का बजट गड़बड़ा जाएगा। मैंने यह आंकड़ा तो सिर्फ एक कंपनी का बताया है भारत की ऐसी और भी कंपनियां होंगी जो रिलायंस से आधा टैक्स देती होगी। इसका अर्थ साफ है कि पिछले 10 वर्षों में कुल मिलाकर हमारे बैंकों ने जितना पैसा माफ किया है उससे बहुत अधिक टैक्स अकेले एक कंपनी ने दिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार टैक्स दे रही कंपनियों का भी हमारे राजनीतिक दल किस तरह विरोध करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। और यह नहीं सोचते कि अगर दूध देने वाली गाय को इज्जत नहीं दी जाएगी उसका नुकसान हमें ही होगा। इस तरह अभी जब संकट आया था और अमेरिका में एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण भारत की भी वायु सेवा पर बहुत प्रभाव पड़ा था, कंप्यूटर भी बंद हो गए थे लेकिन चीन सुरक्षित रहा क्योंकि अमेरिका पर निर्भर नहीं था। अगर हमारे भारत के उद्योगपति को भी सरकार ठीक से मदद करें तो वह भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि यदि गाय का दूध पीकर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उस दूध देने वाली गाय को माता मानने की जरूरत है, डंडा मारने की नहीं।

17. भारतीय राजनीति में झूठ का कारोबार: आज एक समाचार आया है कि एक झूठा व्यक्ति 10 वर्षों से लगातार झूठ बोल-बोल कर किसी के ऊपर भी आरोप लगा देता था। वर्षों तक आरोप चलता रहता था और फिर बेचारा किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से बरी होता था तब तक वह झूठा व्यक्ति एक नया झूठ लेकर तैयार मिलता था। इस झूठे व्यक्ति ने दुनिया के अनेक ऐसे ही धूर्तों से संपर्क बनाकर रखा है और उन लोगों से इस तरह के झूठे आरोप लगवाता है और फिर उसका भारत में दुरुपयोग करता है। वह झूठा व्यक्ति इस प्रकार के धूर्त लोगों में ज्यादा अमेरिका के लोगों का उपयोग करता है और कभी-कभी चीन के साथ भी हो जाता है। अभी

कुछ दिनों पहले ही ऐसी एक अमेरिकन कंपनी से अदानी ग्रुप पर उस झूठे व्यक्ति ने अनेक आरोप लगवाए थे। वर्षों अदानी ग्रुप उस आरोप को झेलता रहा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से वह आरोप समाप्त हुआ। अब कुछ महीनों से वह झूठा व्यक्ति फिर परेशान था कि अब किस प्रकार से किसी पर आरोप लगाया जाए तो फिर से अमेरिका की किसी कंपनी के साथ कोई सौदेबाजी की होगी और फिर से अदानी पर इसी तरह के कोई झूठे आरोप लगाए जिनकी चर्चा आज अखबारों में दिख रही है। इस तरह का जो झूठा व्यक्ति होता है, उसके झूठ बोलने का अभ्यस्त हो जाने के बाद यदि किसी बात पर वह सच भी बोलता है तो इसके बाद भी उसके सच पर आम लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि यह झूठ तो आदतन है। उसके चमचे जो लगातार जेल में बंद हो रहे हैं जो बड़े-बड़े अपराधों में पकड़े जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं इस तरह के सारे लोग एकजुट होकर उस झूठे व्यक्ति के पक्ष में हल्ला करने लगते हैं। यह भारत की एक बड़ी समस्या बन गई है। अब समय आ गया है कि इस प्रकार झूठ बोलने वालों के नेता और उस झूठे व्यक्ति के साथ अपनी सुरक्षा के लिए पीछे-पीछे चलने वालों को बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाए क्योंकि दुनिया में धूर्त बहुत मिलेंगे और उन धूर्तों का उपयोग कर करके यह लोग किसी भी ईमानदार व्यक्ति को बदनाम करते रहेंगे। मेरे विचार से अब देश को इस मामले में गंभीर हो जाना चाहिए। यदि फिर भी अदानी ने कोई गलती की होगी तो उस गलती के लिए न्यायालय खुला है।

हिंडनबर्ग और अडानी पर लिखे इस पोस्ट पर काफी अच्छी चर्चाएं हुई। कुछ लोग यह जानना चाहते थे कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कितनी सच्चाई है। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हिंडनबर्ग के आरोप कितने सच्चे हैं कितने झूठे, यह बात मुझे नहीं मालूम है। हिंडनबर्ग के आरोप सही भी हो सकते हैं और झूठ भी हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई झूठा व्यक्ति कभी सच भी बोल दे, तो उस झूठे व्यक्ति को कहे हुए सच भी झूठ ही लगते हैं जब तक प्रमाणित ना हो जाए। दुनिया में एक जार्ज सोरोस इस प्रकार का व्यक्ति माना जाता है, जो सारी दुनिया में आर्थिक संकट खड़ा करके, उसका हमेशा लाभ उठाता है। इस व्यक्ति के साथ हिंडनबर्ग भी जुड़ा हुआ है और इन दोनों ने मिलकर भारतीय प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी को शामिल कर लिया है। राहुल गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस चालाक ग्रुप में भारत की तरफ से शामिल है। इस तरह के दुनिया के और भी अनेक लोग शामिल हैं जो जार्ज सोरोस का उपयोग करके

आर्थिक या राजनीतिक संकट का लाभ उठाते हैं। इस ग्रुप का इस घटना को प्रचारित करने में अहम रोल रहा है और इसलिए मैं इस घटना को तब तक असत्य मानता हूँ जब तक कोई विश्वसनीय इकाई प्रमाणित ना कर दे। मुख्य प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि यह आरोप सच भी है तो आरोप कितना अनैतिक है, कितना अपराध है और कितना गैरकानूनी है। अगर यह आरोप न अनैतिक है ना अपराध है लेकिन गैर कानूनी है तो इसका निर्णय कानून करेगा न्यायालय करेगा। इसका ना अपराधिक संबंध है और ना अनैतिक है। इसलिए इस सारे आरोप को देखने के बाद यह बात स्पष्ट हुई कि यदि सच भी हो तो ना अपराधिक है ना अनैतिक है, कानूनी विवाद का निर्णय कानून करेगा इसलिए आपका इनके सच या झूठ होने से कोई संबंध नहीं है, ना समाज का कोई संबंध है और ना हम लोगों का कोई संबंध है। यदि सच भी होगा तो गैर-कानूनी होगा जिससे कानून निपटेगा। इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ इस प्रकार के आरोप का धूर्त लोगों ने पहले भी लाभ उठाने का प्रयास किया जो न्यायालय से पूरी तरह समाप्त कर दिए गए फिर भी उसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग क्षमता को समाप्त करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए।

18. बांग्लादेश हिंसा: बांग्लादेश की घटनाएं लगभग सामान्य हो गई है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरुद्ध छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया। जल्दी ही हसीना विरोधी राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और जब आंदोलन थोड़ा मजबूत हुआ तो कट्टरवादी सांप्रदायिक मुसलमान भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह इन तीनों ने मिलकर तख्तापलट कर दिया। तख्तापलट से आरक्षण विरोधी छात्र मुख्य रूप से सत्ता में शामिल हो गए। हसीना विरोधी राजनीतिक दल भी अपनी भूमिका तलाश रहा है और जो सांप्रदायिक मुसलमान थे, उन लोगों ने अराजकता के वातावरण में बहुत लूटपाट की, अनेक हिंदुओं पर अत्याचार भी किया, हत्याएं भी की। अब ऐसे सांप्रदायिक तत्व अपना खेल समाप्त कर चुके हैं। विपक्षी दल अब छात्रों के साथ तालमेल बना रहे हैं और छात्र नेता धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन घटनाओं ने भारत पर भी एक गंभीर असर डाला है। भारत के लोगों को भी आरक्षण के नाम पर प्रतिभाओं को लंबे समय तक रोक कर रखने की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसका मानसिक असर भारत के हिंदुओं पर भी पड़ा है। पहली बात यह स्पष्ट हुई है कि मुसलमान जब भी ताकतवर होगा तो सांप्रदायिक तत्वों के

दबाव में आकर कट्टरवाद के साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी बात भारत के हिंदुओं के सामने यह आदर्श भी उपस्थित हुआ कि बांग्लादेश के हिंदू यदि इन दंगों में मुकाबला करने को खड़े हो जाते तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मारे जाते और दुनिया की सहानुभूति नहीं मिलती। इस तरह का टकराव हिंदुत्व के लिए एक कलंकित इतिहास बना देता जैसा कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद हुआ था। यदि स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत का हिंदू गांधी की बात मान लेता तो इतनी बड़ी संख्या में हिंदू नहीं मरते और सारी दुनिया की इस तरह सहानुभूति मिल जाती जिस तरह अभी बांग्लादेश के हिंदुओं को मिली। हो सकता है कि उस अराजकता के वातावरण में भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करके कब्जा भी कर लेता। अनेक तरह की संभावनाएं थी लेकिन भारत के कुछ उग्रपंथी हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ टकराव करके एक बड़ी भारी भूल कर दी जो भूल अभी बांग्लादेश के मुसलमान ने नहीं की। यह हमारे लिए एक सबक है। आज नरेंद्र मोदी ने भी इन घटनाओं से शिक्षा लेते हुए यह बात स्पष्ट की है कि हमें एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी से भी पूरी तरह सहमत हूँ और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी खड़ा हूँ। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बुद्धि से काम लेने के लिए बधाई देता हूँ।

19. धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग समयानुकूल: मैं 4 जून के बाद लगातार यह सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी को अपने नीतियों में बदलाव करना चाहिए। 4 जून के बाद ही मैंने कई बार लिखा भी और अभी तीन-चार दिन पहले दिल्ली कार्यालय के उद्घाटन के समय भी मैंने साफ तौर पर कहा कि हम आंख बंद करके उस नीति पर नहीं चल सकते, जिस नीति पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव घोषित किया और उन्होंने यह बात कही कि भारत को धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता बनानी चाहिए। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि भले ही चुनाव के पहले परिस्थितिवश यह बात मोदी जी ने घोषित नहीं की लेकिन चुनाव नतीजे के बाद यह बात देश के हर आदमी के समझ में आ गई कि भारत को और हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता नहीं छोड़नी चाहिए। मुट्ठीभर सावरकरवादियों के कहने से यदि हम भी मुसलमानों की तरह सांप्रदायिक हो गए तो हम दुनिया का विश्वास खो देंगे, हम हिंदुत्व को कलंकित करेंगे और किसी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं होगा क्योंकि हिंदू एकजुट हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने इस सच्चाई को या तो पहले ही समझ लिया था या अब समझा लेकिन इस तरह लाल किले से घोषित करके बहुत बड़ी हिम्मत का

काम किया है। अब योगी आदित्यनाथ और सावरकरवादियों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की इस लाइन का क्या प्रभाव पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने एक लकीर खींच दी है और योगी आदित्यनाथ और सावरकरवादी अब अपनी नीतियों पर फिर से विचार करें। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत को सांप्रदायिकता की आग में नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा की प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस हिम्मत और बदलाव के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ।

मार्गदर्शक सूत्र संहिता 1013 :-

किसी कार्य के परिणाम की सम्भावना और यथार्थ के बीच का अन्तर ही सुख या दुःख होता है और इस अंतर की मात्रा ही सुख और दुःख की मात्रा होती है। सुख और दुःख की उत्पत्ति मन से है। घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं होता। परिणाम की सम्भावना का गलत आकलन ही सुख और दुःख का कारण होता है। आकलन जितना यथार्थ परक होगा, सुख या दुःख उतना ही कम होगा या नहीं होगा। व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार परिणामों के ठीक-ठाक आकलन की आदत डालनी चाहिए।

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीकरण क्रमांक–68939 / 98

डाक पंजीयन क्रमांक–छ.ग. / रायगढ़ / 10 / 209–2021

प्रति,

श्री / श्रीमती _____

_____

_____

_____

संदेश

वर्तमान संसदीय लोकतंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहां हमारा भगवान रूपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना ही होगा। लोक संसद के लिये आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। लोक स्वराज्य मंच ने इसकी पहल की है। लोक स्वराज्य मंच से जुड़िये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल कीजिए।

पत्र व्यवहार का पता

पता – बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बॉक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021
website : www.margdarshak.info

प्रकाशक, सम्पादक व स्वामी – बजरंगलाल
09617079344
Email : bajrang.muni@gmail.com
Support@margdarsgak.info
Facebook Id : बजरंग मुनि (User Name)

मुद्रक– माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)